परिपत्र सं.89/08/2019-जीएसटी

फाइल सं. सीबीईसी - 20/16/04/2018- जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक - 18 फरवरी, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/केंद्रीय कर आयुक्त (सभी)
प्रमुख महानिदेशक/ महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

विषय: फार्म जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.2 तथा फार्म जीएसटीआर-1 की तालिका 7बी में अपंजीकृत व्यक्तियों को दी गई अंतर्राज्यीय आपूर्तियों के विवरण का उल्लेख करना - के संबंध में।

एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह फार्म जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.2 में अपंजीकृत व्यक्तियों, संयुक्त उदग्रहण अधीन कर योग्य व्यक्तियों तथा यूआईएन धारकों को की गई अंतर्राज्यीय आपूर्तियों के विवरण का उल्लेख करे। और यह भी, वह फार्म जीएसटीआर-1 की तालिका 7ब में अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर्राज्यीय आपूर्तिया जहां बीजक मूल्य 2.5 लाख रूपये मय दर से अधिक है के विवरण का उल्लेख करे।

2. बोर्ड के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछेक पंजीकृत व्यक्तियों ने फार्म जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.2 में अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर्राज्यीय आपूतियों के विवरण की सूचना नहीं है। जबकि यह विवरण जीएसटीआर-1 की तालिका 7 ब में दिया गया है । बोर्ड क्षेत्र गठन के दौरान कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 (संक्षेप में जीएसटी अधिनियम) की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एततद्वारा निम्नलिखित अनुदेश जारी करता है:-

3. यह उल्लेख करना उचित होगा कि ऐसा राज्य जहां अपंजीकृत व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय आपूर्तियां की गई हैं, उनपर एकत्रित किये गये आईजीएसटी का विभाजन पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा फार्म जीएसटीआर-

3बी की तालिका 3.2 में दी गई जानकारी के आधार पर किया जाता है। इसलिए उक्त जानकारी न देने का निम्नलिखित परिणाम हो सकता है:-

(i) वह राज्य जहां ऐसी आपूर्ति की जाती है, को आईजीएसटी की देय राशि का विभाजन न होना

(ii) माल की मात्रा अथवा सेवाओं अथवा दोनों की राज्य में वास्तविक आपूर्ति और केंद्रीय तथा उस राज्य के बीच विभाजित एकीकृत कर की राशि में असंतुलन होना तथा एकीकृत माल तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) का पालन न करना

4. तदनुसार यह अनुदेश दिया जाता है कि पंजीकृत व्यक्ति जो अपंजीकृत व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय आपूर्ति करते हैं, वे ऐसी आपूर्तियों के विवरण फार्म जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.2 और फार्म जीएसटीआर-1 की तालिका 7बी में दें, जैसा कानून में अनिवार्य बताया गया है। अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने पर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र के विषय को प्रचारित करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किये जाएं।

6. इस परिपत्र को लागू करने में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उसे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

(उपेन्द्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)